

समाहरणालय, सीवान

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक/रा०, दिनांक.....

प्रेषक,

समाहर्ता,
सीवान।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार पटना।

विषय:-

सीवान जिलान्तर्गत विविध सैरात महोगनी पेड़ के डाक हेतु आम सूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कराये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि अनुमण्डल कार्यालय सिवान सदर के परिसर में गिरे हुये महोगनी पेड़ के डाक हेतु आम सूचना का प्रकाशन की 5 प्रति (हार्ड कॉपी) एवं साफ्ट कॉपी (सी०डी०) पत्र के साथ संलग्न कर विशेष दूत के माध्यम से भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि अनुमण्डल कार्यालय सिवान सदर के परिसर में गिरे हुये महोगनी पेड़ के डाक हेतु आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय दो दैनिक समाचार पत्रों में कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

१३०/-

समाहर्ता,
सीवान।

ज्ञापांक 124/80 / रा० दिनांक 03.08.17

प्रतिलिपि-सभी अंचलाधिकारी, जिला सीवान को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अनुमण्डल कार्यालय परिसर में गिरे हुये महोगनी पेड़ डाक के से संबंधित आम सूचना का वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि-जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सीवान को डाक सूचना व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित। निदेश है कि स्थानीय समाचार पत्रों में उक्त व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर अखबार की कतरन जिला राजस्व शाखा, सीवान को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

✓ प्रतिलिपि-जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि सभी संबंधित को ई-मेल के माध्यम से आम सूचना की प्रति प्रेषित करते हुए जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि-अनुमंडल पदाधिकारी/उप समाहर्ता, भूमि सुधार, सीवान सदर/महाराजगंज को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सभी समाहर्ता, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-आयुक्त, सारण प्रमंडल छपरा/तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

१३०/-
समाहर्ता,
सीवान।

समाहरणालय, सीवान
(जिला राजस्व शाखा)

विविध सैरात गिरे हुये महोगनी पेड़ की डाक हेतु आम सूचना सूचना

एतद द्वारा सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि सीवान जिलान्तर्गत अनुमण्डल कार्यालय सिवान सदर परिसर में विविध सैरात गिरे हुये महोगनी पेड़ के बन्दोबस्ती खुले डाक से अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 08.08.2017 को पूर्वाहन 11.00 बजे से अपर समाहर्ता, सीवान के कार्यालय प्रकोष्ठ में किया जायेगा। उक्त तिथि को किसी कारणवश डाक नहीं होने अथवा कोई डाकवक्ता की उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में पुनः दिनांक 09.08.2017 एवं दिनांक 10.08.2017 को डाक किया जायेगा। संबंधित विवरण निम्नांकित है-

क्र० सं०	अनुमण्डल का नाम	अंचल का नाम	सैरात का नाम	आयुक्त द्वारा स्वीकृत सुरक्षित जमा राशि	अग्रधन की राशि
1	2	3	4	5	6
1	अनुमण्डल कार्यालय, सिवान सदर	सिवान सदर	विविध सैरात, गिरे हुये महोगनी पेड़	4,82,500.00	48,250.00

डाक लेनेवाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते हैं। डाक में भाग लेनेवाले इच्छुक व्यक्ति संबंधित अंचल/थाना से अपना आचरण एवं पूर्ववृत्त के संबंध में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे। सुरक्षित जमा का 10% अग्रधन के रूप में जमा करने के पश्चात् ही डाक में भाग ले सकते हैं। सफल डाकवक्ता को डाक समाप्ति के बाद उसी समय पूरी राशि एक ही किस्त में जमा करनी होगी। साथ ही डाक राशि के अतिरिक्त निबंधन शुल्क के रूप में 5% + स्टाम्प शुल्क 5% = कुल 10% की राशि एवं अन्य सभी कर अलग से देय होगा।

विविध सैरात गिरे हुये महोगनी पेड़ की डाक उच्चतम डाकवक्ता के साथ सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर स्वीकृत की जाएगी। सफल डाकवक्ता को डाक लेने का एकरारनामा अपने व्यय पर निबंधित कराना होगा। डाक में भाग लेनेवाले व्यक्ति का मानसिक, समाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर सरसरी तौर पर विचार किया जाएगा, ताकि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रश्रय नहीं मिल सकें।

बिना कोई कारण बताये डाक को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। उच्चतम डाकवक्ता के द्वारा डाक की राशि एक मुश्त जमा नहीं करने पर उनके अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी तथा द्वितीय उच्चतम डाक की राशि बोलने वाले के साथ एक मुश्त राशि जमा करने पर डाक दे दी जायेगी।


समाहर्ता,
सीवान।